

## फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री शैलेन्द्र जैन, धानमंडी, जैन मंदिर की गली, झालावाड़ (राज0)

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा-अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 30/2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p><b>दिनांक 16.05.2022</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई । अपीलांत अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्त हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांक: एफ.1( )सू.अ.,05/2022/462-463 दिनांक 04 मई, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना संपदा अधिकारी मंदिर मण्डल नाथद्वारा से संबंधित होने के कारण मूल प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(i)(ii) के तहत संबंधित विभाग को ऑल लाईन दि. 09. 03.2022 को अंतरण की जाकर पत्रांक: प.1( ) सू.अ., 05/2022/328-329 दिनांक 09. 03.2022 से जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया ।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया । अपीलार्थी द्वारा श्रीनाथजी भंडार, कोटा द्वारा नगर परिषद, झालावाड़ में लगायी गयी आपति की सम्पूर्ण पत्रावली की सूचना आर.टी.आई. के तहत चाही गई । अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमंद से संबंधित नहीं होकर संपदा अधिकारी मंदिर मण्डल, नाथद्वारा की होने से मूल प्रार्थना पत्र संपदा अधिकारी मंदिर मण्डल, नाथद्वारा को अंतरित की जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचित किया जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद व संपदा अधिकारी, मंदिर मण्डल, नाथद्वारा को भिजवायी जावे ।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



लोक सूचना अपीलीय अधिकारी  
(जिला कलक्टर) राजसमंद